

GICMS Number 2023/375

सेवामें

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय

रायपुर

अनवान

मुकदमा नंबर 24A/2023

दस्तावेज नंबर 07/11/2023

प्रार्थी

अप्रार्थी

राजस्थान सरकार

1. बाबू सिंह व. धन सिंह राजणा राजपुर  
सा.भर

जरिये भूमिधारी

2.

तहसीलदार रायपुर

जाति.....निवासी.....


प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 वास्ते तरमीम दुरुस्ती

महोदय,

1. निवेदन है कि अप्रार्थी बाबू सिंह व. धन सिंह राजणा राजपुर निवासी सा.भर के नाम से ग्राम सा.भर पटवार मंडल सा.भर तहसील रायपुर जिला पाली के नाम से खातेदारी भूमि अवस्थित है।

अप्रार्थी की पैरा एक में वर्णित भूमि की तरमीम वक्त सेग्रिगेशन गलत स्थान पर सहवन से करदी गई जिसे दुरुस्त किया जाना है।


पटवारी हल्का सा.भर एवं भू अ.नि. सा.भर की रिपोर्ट अनुसार तरमीम शुद्धि के आदेश फरमाया जावे।

  
तहसीलदार रायपुर  
जिला-पाली (राज०)


फर्दमौका

आज दिनांक 27.7.2023 को ग्राम बर के खसरा संख्या 302, 302/1, 302/2  
रकबा 0.8094, 0.1942 किस्म जमाबन्दी खसरा खातेदार साधुसिंह 5/ दानसिंह  
कैम शरण प्रसाद का मौका देखा। मौके अनुसार खातेदारान का निम्नांकित नक्शा अनुसार  
कब्जा काश्त है।

नजरीनक्शा



वर्तमान तरमीम जो गलत है।



सही स्थान पर प्रस्तावित तरमीम

मौका / नक्शा लट्ठा अनुसार तरमीम शुद्धि प्रस्तावित है।

- संलग्न—1. नकल जमाबन्दी  
2. गत नक्शा की प्रति  
3. वर्तमान नक्शा की प्रति

हस्ताक्षर गवाहान

साधुसिंह

साधुसिंह  
27.7.2023  
हस्ताक्षर पटवारी

रिपोर्ट भू अ. निरीक्षक

पटवारी हल्का बर की फर्द मौका अनुसार मेरे द्वारा मौका जांच करली  
गई है। वर्तमान मौका एव पटवारी हल्का के पास उपलब्ध नक्शा लट्ठा अनुसार प्रस्तावित स्थान पर  
तरमीम किया जाना उचित है।


साधुसिंह  
हस्ताक्षर भू अ. निरीक्षक  
03/08/2023

क्रमांक/बूअ/131/23/2067 dt. 04.08.23

तहसीलदार (भूमिधारी) की अनुशंषा

रिपोर्ट पटवारी हल्का ..... वर ..... जांच भू अ. नि. .... वर .....


के आधार पर तरमीम शुद्धि की अनुशंषा की जाती है।

  
तहसीलदार रायपुर  
जिला-पाली (राज०)

मुकदमा नम्बर 24A/2023

आदेश

तहसीलदार (भूमिधारी) रायपुर की अनुशंषा के अनुसार ग्राम ..... वर ..... के खसरा संख्या 302, 302/1, 302/2 रकबा 0.2094, 0.1942 की वर्तमान तरमीम के स्थान पर प्रस्तावित तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार रायपुर पालना कर, पालना प्रस्तुत करें।

  
उपखण्ड अधिकारी  
रायपुर